

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 3151 / 2006 / डूंगरपुर सरकार बनाम रूपा</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</p> <p>उपस्थित:— श्री श्रीनिवास बेनीवाल, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: right;">दिनांक : 17 -11-2025</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>यह रेफरेंस जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 01-03-2006 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि मोजा/ग्राम खजूरी तहसील डूंगरपुर में वर्तमान भू-प्रबन्ध में स्थित आराजी खसरा नंबर 212 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन/नियमन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित/प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में थी। लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को दिनांक 15-11-77 को किया गया है, जो जरिये नामान्तरकरण सं.111 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रारम्भ से ही शून्य एवं बेअसर होने से उक्त भूमि का आवंटन एवं उसके आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण को निरस्त कराने, रेफरेंस करने हेतु तहसीलदार डूंगरपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र/प्रकरण पेश किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, तलाई, नदी, नाले जलाशयों की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15-08-1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। अतः अप्रार्थी के हक में खोला गया नामान्तरकरण को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रिकॉर्ड में नाला किस्म अभिलिखित</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 3151 / 2006 / डूंगरपुर सरकार बनाम रूपा</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>किया जावे।</p> <p>बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं होती है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं। किन्तु उक्त भूमि का बिना किसी आधार के अप्रार्थी की खातेदारी में अंकित कर दी गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सन् 1947 एवं इसके पश्चात् उक्त भूमि की किस्म नाला दर्ज थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् की गई समस्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में भी अविधिक है तथा ऐसी अविधिक कार्यवाही के विरुद्ध किसी प्रकार की मियाद बाधित नहीं है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 212 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गए समस्त आवंटन/नियमन आदेश एवं नामान्तरकरण आदि निरस्त किए जाकर उक्त आराजी को राजकीय खाते में पुनः किस्म नाला दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावें।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(भवानी सिंह पालावत) सदस्य</p>	